

		<p>The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation term upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.</p> <p>Note 1.-The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2.- The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee(for considering confirmation) consisting of :- (1) Director or Deputy Secretary (Administration), Ministry of Power - Chairman; (2) Under Secretary (Administration), Ministry of Power - Member; and (3) Under Secretary (Schedule Caste or Schedule Tribe), Ministry of Power - Member.	Not applicable.

Explanatory Memorandum

The retrospective effect of rule 4 is provided in the Initial Constitution with a view to regularise the services of the incumbents referred to in the said rules and it is certified that by giving retrospective effect to rule 4, it is not likely to adversely affect the interest of the incumbents.

[F.No. 2-9/2018-Admn.II]

H. USUANTHANG GUITE, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मई, 2019

सा.का.नि.175.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विद्युत मंत्रालय, स्टाफ कार ड्राइवर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विद्युत मंत्रालय में स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी 2) और स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी 1) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत मंत्रालय, स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी 2) और स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी 1) भर्ती नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना** – ये नियम उन पदों पर लागू होंगे जो इन नियमों से उपाबंध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हता** – उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हता और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **निरर्हता : वह व्यक्ति : –**
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;
परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
6. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी)	3* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-2 (₹.19900-63200)	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(6)	(7)	(8)
18 से 25 वर्ष* (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी	आवश्यक: (i) मोटर कारों के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो।	लागू नहीं होता।

<p>सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पणी: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीती जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p> <p>*यदि पद अखिल भारतीय भर्ती में खुली प्रतिस्पर्द्धा के माध्यम से भरा जाता है तो आयु सीमा 18 वर्ष-27 वर्ष के बीच होगी।</p>	<p>(ii) मोटर यान की यंत्र क्रिया का ज्ञान (अभ्यर्थी के पास यान में छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने का सामर्थ्य होना चाहिए)।</p> <p>(iii) मोटर कार चालन का कम-से-कम तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>(iv) मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से दसवां स्तर पास अथवा समतुल्य।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>(i) होम गार्ड अथवा सिविल स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण: अनुभव से संबंधित अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>
---	--

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या आमेदन से किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती और पुनर्नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति/आमेदन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन।	<p>प्रतिनियुक्ति/आमेदन</p> <p>विद्युत मंत्रालय स्तर 1 (रु.18000-रु.56900) में ऐसे नियमित सवार हरकारा (समूह-ग) और समूह ग कर्मचारियों में से जो मोटर कार चालन की सक्षमता निर्धारण करने के लिए चालन परीक्षण के आधार पर मोटरकार के चालन की विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो, जिसके न हो सकने पर ऐसे पदधारियों में से जो नियमित आधार पर सवार हरकारा का पद धारण करते हों या केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में स्तर 1 (रु.18000-रु.56900) में से नियमित आधार पर समूह 'ग' कर्मचारियों में से जो स्तंभ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं रखते हों।</p> <p>सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन</p> <p>सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो</p>

	<p>एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के पदधारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति पर विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार से, प्रतिनियुक्ति पर व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के लिए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।</p>
--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो, उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p>समूह "ग" विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के मामलों पर विचार करने हेतु) में निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक अथवा उप सचिव (प्रशासन), विद्युत मंत्रालय - अध्यक्ष अवर सचिव (प्रशासन), विद्युत मंत्रालय - सदस्य अवर सचिव (अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित अधिकारी), विद्युत मंत्रालय - सदस्य 	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड 2)	1 * (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-4 (रु.25500-81100)	अचयन

(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति	प्रोन्नति स्तर-2 (19900-63200 रु.) में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में नौ

		<p>वर्षों की नियमित सेवा की है और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।</p> <p>टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ कार्मिकों, जिन्होंने अपनी अर्हता अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनसे वरिष्ठ कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे ऐसी अर्हता अथवा पात्रता सेवा की आधे से अधिक अपेक्षित अर्हता अथवा पात्रता सेवा अथवा दो वर्ष की सेवा पूरी करते हों, जो भी कम हो, तथा अपने ऐसे कनिष्ठ कार्मिकों, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हता अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ अगली उच्च श्रेणी पर पदोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>
--	--	--

(12)	(13)
<p>समूह "ग" विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति के मामलों पर विचार करने हेतु) में निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक अथवा उप सचिव (प्रशासन), विद्युत मंत्रालय - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन), विद्युत मंत्रालय - सदस्य 3. अवर सचिव (अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित अधिकारी), विद्युत मंत्रालय - सदस्य 	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड I)	1* (2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित), अननुसचिवीय	स्तर- (रु.29200-92300)	अचयन

(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति	<p>प्रोन्नति</p> <p>स्तर-4 (25500-81100 रु.) में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड 2) जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्षों की नियमित सेवा की हो या स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड 2) और स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) में पंद्रह वर्षों की सम्मिलित सेवा के साथ सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।</p>

		<p>टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ कार्मिकों, जिन्होंने अपनी अर्हता अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनसे वरिष्ठ कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे ऐसी अर्हता अथवा पात्रता सेवा की आधे से अधिक अपेक्षित अर्हता अथवा पात्रता सेवा अथवा दो वर्ष की सेवा पूरी करते हों, जो भी कम हो, तथा अपने ऐसे कनिष्ठ कार्मिकों, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हता अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ अगली उच्च श्रेणी पर पदोन्नति के लिए परीक्षा अवधि पूरी कर ली हो।</p>
--	--	---

(12)	(13)
<p>समूह "ग" विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति के मामलों पर विचार करने हेतु) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:</p> <p>1. निदेशक अथवा उप सचिव (प्रशासन), विद्युत मंत्रालय - अध्यक्ष</p> <p>2. अवर सचिव (प्रशासन), विद्युत मंत्रालय - सदस्य</p> <p>3. अवर सचिव (अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित अधिकारी), विद्युत मंत्रालय - सदस्य</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

[फा. सं. 2-9/1/2017-प्रशा. III]

हाउसुआनथांग गुईते, अवर सचिव

New Delhi, the 30th May, 2019

G.S.R. 175.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Power, Staff Car Driver (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2015, except as things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Driver(Ordinary Grade), Staff Car Driver(Grade II) and Staff Car Driver(Grade I) in the Ministry of Power, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Power, Staff Car Driver(Ordinary Grade), Staff Car Driver(Grade II) and Staff Car Driver(Grade I), (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification and level in the pay matrix.— The number of the said posts, their classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.,— The method of recruitment, age- limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or Non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Staff Car Driver (Ordinary Grade).	3*(2019) *Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non Ministerial.	Level 2 (Rs.19900-63200).	Not applicable.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
<p>Between 18 years and 25 years.* (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)</p> <p>Note: The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands and Union territory of Lakshadweep.</p> <p>* In case of post being filled up by all-India open competition, it would be between 18 years and 27 years.</p>	<p>Essential:</p> <p>(i) Possession of a valid driving licence for motor cars;</p> <p>(ii) knowledge of motor car mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in motor car);</p> <p>(iii) at least 3 years experience of driving a motor car ; and</p> <p>(iv) pass in 10th standard or equivalent from recognised Board or University.</p> <p>Desirable:</p> <p>(i) 3 years' service as Home Guard or Civil Volunteer.</p> <p>Note : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>	Not applicable.

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion, deputation or absorption, grades from which promotion, deputation or absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits and re-employed.	<p>Deputation/ absorption failing which by direct recruitment.</p> <p>For Armed Forces Personnel:</p> <p>Deputation or re-employment.</p>	<p>Deputation/Absorption:</p> <p>From amongst the regular Despatch Rider(Group 'C') and Group 'C' employees in level 1(Rs. 18000-56900) in the Ministry of Power, who possess valid driving license for motor cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars, failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group C employees in level 1(Rs. 18000-56900) in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7).</p> <p>Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel</p> <p>The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.</p> <p>Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age- limit for appointment by deputation/ absorption shall be 'Not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 2.-The official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director or Deputy Secretary (Administration), Ministry of Power -Chairman 2. Under Secretary (Administration), Ministry of Power -Member 3. Under Secretary (officers belonging to the Schedule Caste or the Schedule Tribe), Ministry of Power -Member 	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Staff Car Driver (Grade II)	1* (2019) *(Subject to variation dependent on work load)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 4 (Rs.25500-81100)	Non-selection

(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not applicable	Promotion	<p>Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in level 2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix with nine years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government.</p> <p>Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director or Deputy Secretary (Administration), Ministry of Power -Chairman 2. Under Secretary (Administration), Ministry of Power -Member 3. Under Secretary (officers belonging to the Schedule Caste or the Schedule Tribe), Ministry of Power -Member 	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Staff Car Driver (Grade I).	1 * (2019) *(Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Staff Car Driver (Grade II) in level 4 (Rs.25500-81100) with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver (Grade-II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade) and have passed the trade test, specified by the Government.</p> <p>Note.- Where juniors who have completed their qualifying or</p>	<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director or Deputy Secretary (Administration), Ministry of Power. -Chairman 2. Under Secretary (Administration), Ministry of Power. -Member 	Not applicable.

eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	3. Under Secretary (officer -Member belonging to the Schedule Caste or the Schedule Tribe), Ministry of Power.	
--	--	--

[F. No. 2-9/1/2017-Admn.II]

HOUSUANTHANG GUTE, Under Secy.

**MANOJ
KUMAR
VERMA**

Digitally signed by
MANOJ KUMAR
VERMA
Date: 2019.06.27
16:28:49 +05'30'